भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3282

जिसका उत्तर 29.03.2023 को दिया जाना है

खेड़की दौला, एनएच-48, से टोल प्लाजा को हटाना

3282. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48) पर स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा ने शुल्क संग्रह की अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक हटा दिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो यह अवधि कब तक पूरा होने की उम्मीद है;

(घ) क्या सरकार इस टोल प्लाजा के प्रारंभ होने के बाद से अब तक इसके द्वारा किए गए शुल्क संग्रह की लेखा परीक्षा करने की योजना बना रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) खेड़की दौला टोल प्लाजा रारा-48 के दिल्ली-गुड़गांव खंड पर स्थित है, इसकी रियायत अवधि पूरी हो गई है और रियायत समझौते के प्रावधान की शर्तों के अनुसार 1 मार्च 2023 से टोल प्लाजा सहित खंड एनएचएआई को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, शुल्क प्लाजा 1 मार्च 2023 से ही सार्वजनिक वित्त पोषित प्लाजा के रूप में चालू है।
